तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी.ए0/5835/2005/भरतपुर** **उंकार सिंह बनाम छिद्दी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री रामनिवास जाट, सदस्य

12.01.2023

उपस्थित

श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता प्रार्थी
श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता अप्रार्थीगर्ण।

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03-03-2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

आलोच्य आदेशानुसार न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर ने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सिविल प्रक्रिया संहिता को अपने आदेश दिनांक 03-03-2005 से खारिज कर दिया है। जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने निगरानी मंडल में प्रस्तुत की है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस निगरानी में सुनी गयी ।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि प्रार्थी ने अपीलीय न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सी0पी0सी0 का दाखिल खारिज संख्या 188 की सत्यप्रति को प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया किया था जिसकी जिसकी नकल प्रार्थी को नहीं दी गयी है क्योंकि वह जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। उक्त प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि आवश्यक दस्तावेज था जिसे रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक था। परन्तु अपीलीय न्यायालय ने अपने उक्त

›तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी.ए0/5835/2005/भरतपुर** **उंकार सिंह बनाम छिददी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आदेश से प्रार्थी का का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जो विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि उक्त दाखिल खारिज संख्या 188 में प्रार्थी के पिता का विरासतन नामांतरकरण खोलागया था जो कि महत्ववपूर्ण दस्तावेज है परन्तु सत्यापित प्रतिलिपि नहीं मिल पाने की वजह से उक्त को प्राप्त करने की नकल की सत्यापित प्रति को रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक था, परन्तु अपीलीय न्यायालय ने प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जो विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में उपरोक्त तर्को को विरोध करते हुये कथन किया कि किसी दस्तावेज की नकल प्राप्त करने बाबत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र की प्रति किसी दस्तावेज की श्रेणी में नहीं आती है। इसलिए उसका रिकार्ड पर लिये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलीय न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि नामांतरकरण की दो परत होती है एक पटवार परत तथा दूसरी सरकार परत। प्रार्थी ने जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उसमें मात्र एक परत जीर्ण–शीर्णा होने का उल्लेख है यदि एक परत फटी हुई हो तो संबंधित अधिकारी से दूसरी परत से प्रति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए परन्तु प्रार्थी द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इसलिए अपीलीय न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधिसंगत रूप से खारिज किया है। बहस के अंत विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी को खारिज करने का निवेदन किया। हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी.ए0/5835/2005/भरतपुर** **उंकार सिंह बनाम छिद्दी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सी0पी0सी0 को खारिज कर प्रार्थी द्व्ारा नकल प्राप्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र की प्रमाणित प्रति को रिकार्ड पर लेने से मना कर दिया। इस संबंध में संबंधित प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह दस्तातवेज इन्हीं विवादित भूमियों व इन्हीं पक्षकारों के मध्य विचाराधीन प्रकरण की विषय वस्तु से संबंधित है। इस प्रकार यह दस्तावेज साक्ष्य में स्वीकार योग्य होता है। इस दस्तावेज को रिकार्ड पर लिये जाने से प्रकरण के निर्णय में सहायता भी प्राप्त होगी।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.03.05 अपास्त किया जाता है। इसके साथ ही प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सी0पी0सी0 को स्वीकार करते हुये संबंधित दस्तावेजात को रिकार्ड पर लेने के आदेश दिये जाते है। तथापि हम यहां यह निर्देश देना उचित समझते है कि नामांतरकण की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु पुनः कार्यवाही की जावे।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य